FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.) मुकाम

तहसीलदार आहोर बनाम राजकुमारी वगैरा

किस्मत मुकदमा नं. 24/19 रद

दुरूस्ती प्रार्थना-पत्र धारा 136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/7/19	तहसीलदार आहोर द्वारा पत्रांक – दिनांक 1-7-19 के जरिये ग्राम डोडीयाली के ख० नं० 558 रकबा 1-3335 है० के क्रम मे दुरूस्ती प्रार्थना-पत्र पेश किया जो दर्ज रजि० होकर वास्ते आदेश दिनांक 15-7-19 को पेश हो। Sd/- सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)	
15-7-19	पत्रावली आज पेश हुई पैरोकार तहसीलदार उपस्थित। उक्त प्रकरण को तहसीलदार आहोर द्वारा सुव्यवस्थित पक्षकार संयोजित कर प्रकरण नियमानुसार पेश नहीं किया है अतः प्रकरण को सुनियोजित ढंग से पेश करने हेतु अवगत करवाया जावे एवं उक्त प्रकरण के संबंध में जो जो खातेदार इससे संबंधित है उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक प्रतीत होता है अतः तहसीलदार आहोर कज संबंधित प्रकरण के संबंधितों को पक्षकार संयोजित कर तलबी हेतु अर्जी मय नोटिस पेश करें। पत्रावली दिनांक 30-7-19 को पेश हो। Sd/-	नोटिस 50, 60, 60 19-7-19

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ… जो इस हुक्म की ता… में जारी हुए
30-7-19	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर सविस्तार निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आहोर को भेजी जावे। बाद तहरीर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.)	प्रहलाद निर्णय क्रमांक 515/30-7-19

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर– RAS

प्रकरण सं. 24/2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

तहसीलदार आहोर राजकुमारी वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956

निर्णय दिनांक 30.07.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री प्रहलादसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपुत सा. डोडीयाली द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा डोडीयाली के वर्तमान ख.नं. 508 से बने नये ख.नं. 637/508, 638/508 की तरमीम ख. नं. 508/574 में गलत हुई है को निरस्त कर ख.नं. 508 में करने हेतु पेश किया गया। तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण सुव्यवस्थित पक्षकारान् संयोजित कर नियमानुसार पेश नहीं करने पर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। ख.नं. 508 व उसमें जरिये खरीददारी के द्वारा नये बने खसरा नम्बर 637/508, 638/508 के खातेदारान् द्वारा तरमीम दुरस्त करने की सहमति व्यक्त की है। भू–अ. निरीक्षक उम्मेदपुर व पटवारी हल्का डोडीयाली की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 508 से बने नये खसरे 637/508, 638/508 की तरमीम जो ख.नं. 508/574 में से निरस्त कर ख.नं. 637/508, 638/508 की तरमीम जो ख.नं. 508 में किया जाना उचित बताया है तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। मौजा डोडीयाली के वर्तमान ख.नं. 508/574 नक्शा लट्ठा में दर्ज नही होने के कारण केवल ख.नं. 508 ही नक्शें में दर्ज था। द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा ख.नं. 508/574 की तरमीम चकतराशी की शीट में की गई जबकि मूल शीट, मोमी शीट या नक्शा लट्ठा में नही किये जाने के कारण ख.नं. 508 में बेचान होने पर जो नवीन बने खसरा नम्बर 637/508, 638/508 की तरमीम की गई वह गलत दर्ज हो गई। सेटलमेंट विभाग के अमीन द्वारा नक्शा लट्ठा में उक्त ख.नं. 508/574 की तरमीम कर देने के कारण वर्तमान मे गलत दर्ज तरमीम को दुरस्त कर मूल ख.नं. 508 में दर्ज करना उचित है। ताकि नक्शा व जमाबंदी में एकरूपता आ सके।

30/7/19

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा डोडीयाली के वर्तमान ख.नं. 508/574 में की गई गलत तरमीम ख.नं. 637/508, 638/508 को निरस्त कर ख.नं. 508 में किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

30/7/15

उपखण्ड अधिकारी
आहोर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner